Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सरकारी कामकाज में हिंदी : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. आराधना सिंह*

* एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी) मंगलायतन विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन सरकारी कामकाज में इसके व्यापक उपयोग को लेकर अब भी कई चुनौतियॉ बनी हुई है। यह शोध आलेख सरकारी कामकाज में हिन्दी की वर्तमान स्थिति, उसके संवैधानिक प्रावधानों, प्रशासनिक बाधाओं, तकनीकी चुनौतियों और संभावित समाधान उपायों का विश्लेषण करता है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति सुधार, तकनीकी विकास, प्रशासनिक प्रशिक्षण और कानूनी अनुवाद की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। अत: सरकारी कार्यों में हिन्दी का प्रभावी उपयोग प्रशासनिक दक्षता पारदर्शिता और जनता की सहभागिता को बढ़ाने में यह आलेख सहायक हो सकता है।

शब्द कुंजी – सरकारी कामकाज, राजभाषा हिंदी, प्रशासनिक भाषा, भाषा नीति हिंदी और संविधान, सरकारी कार्यालयों में हिंदी, तकनीकी विकास और हिंदी, भाषा संबंधी चुनौतियॉ।

प्रस्तावना – हिन्दी हमारी मातृभाषा है, जिसके उत्थान की कामना सदैव भारतीय जनमानस में रही है। कभी भारतेन्दु ने निजभाषा उन्नति में ही समस्त उन्नति की बात कही थी यह उनकी चिन्ता भी थी और चिन्तन भी कि भाषा यदि उन्नत हो तो राष्ट्र भी उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा।

भारत एक बहुभाषी देश है जहां विभिन्न भाषाएं और बोलियां बोली जाती है स्वतंत्रता के बाद, हिन्दी को राजभाषा के रुप में स्वीकार किया गया, ताकि प्रशासनिक कार्यों में एकता और सुगमता लाई जा सके। हालांकि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को लेकर अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं।

संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिन्दी को भारत के राजभाषा के रुप में स्वीकृत किया गया था। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि हिन्दी देश की एक व्यापक रुप से बोली जाने वाली भाषा है और इसे अधिकांश लोग समझते थे। हिन्दी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाना और जनता तक सरकार की नीतियों व योजनाओं को सहज रुप से पहुंचाना था।

राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार हिन्दी और अंग्रेजी दोनो ही केन्द्र सरकार के कार्यालयों में उपयोग की जाती हैं, साथ ही राज्यों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य करने की अनुमति दी गई हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है, जैसे कि हिन्दी कार्यशालाएं, राजभाषा पुरुस्कार और कम्प्यूटर पर हिन्दी टाईपिंग को बढ़ावा देना।

यद्यपि आधुनिक जीवन के विभिन्न व्यवहार क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग होने लगा है। इसीलिए प्रयोजनमूलक स्तर पर हिन्दी ने विभिन्न विषयों तथा कार्य क्षेत्रों में अपने-अपने विषय के अनुसार अपना विशिष्ट रूप धारण कर लिया है। सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को कार्यालयी हिन्दी कहा जाता है। कार्यालयी संदर्भ में भी हिन्दी एक विशेष प्रयुक्ति के रूप में उभरी है। वास्तव में कार्यालय की सबसे बड़ी इकाई प्रशासन है जिसके अंतर्गत सरकार को देश के आर्थिक, राजनैतिक, सुरक्षात्मक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि अनेक दृष्टियों से प्रशासन का भार संभालना पड़ता है। अत: इन सभी कार्यों में प्रयुक्त भाषा कार्यालयी भाषा होती है। कार्यालयी हिन्दी का स्वरूप सामान्य बोलचाल की हिन्दी से भिन्न होती है। इसकी प्रकृति प्राय: तकनीकी और औपचारिक होती है और वह काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि से अलग होती है। इसमें जो कुछ कहा जाता है वह बंधे बंधाये वाक्यों या परिभाषिक शब्दावली के भीतर कहा जाता है।

मसौदा-टिप्पणी लेखन, पत्राचार, संसदीय कार्य और प्रतिवेदन लेखन से लेकर सरकारी नीति संबंधी विवरण तक के साहित्य की भाषा अपने-अपने रूप को लिए होती है।

प्रशासनिक कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग को वरीयता मिल रही है, बैंक, जीवन बीमा निगम, डाकतार, रेल, आयकर, दूरसंचार, भारत पेट्रोलियम गैस विविध एजेन्सी इस तरह के अन्य कई कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग को वरीयता मिल रही है।

विगत वर्षों में हिन्दी का कृष्ण पक्ष ही था कि अधिकारिक स्तर पर वह अपने ही देश के प्रशासन की जुबान नहीं बन पाई। अत: हिन्दी प्रयोजनमूलक हिन्दी के रूप में नये अंदाज में आई किन्तु इसमें भी कुछ खामियाँ निकली। विद्धानों का विचार है कि ये कमियाँ मुख्य रूप से अनुवाद, पारिभाषिक शब्दावली और भाषिक संरचना तथा प्रयुक्ति के स्तर की है। ये कमियाँ और दुर्बलताएँ ही कार्यालयीन हिन्दी की समस्याएँ है। दरअसल प्रशासन के क्षेत्र में संवैधानिक अनिवार्यता के तहत देश के विभिन्न कार्यालयों में जब हिन्दी प्रयोग की बात उठी तब धीरे-धीरे कुछ समस्याएँ भी उठी। इनमें पहली समस्या अनुवाद की थी। अनुवाद के द्वारा अंग्रेजी की जगह आई नई हिन्दी अंग्रेजी से भी कठिन लगने लगी। अवधेश प्रताप सिंह के अनुसार, 'अनुदित हिन्दी में अंग्रेजी के शब्दों के लिए नए-नए गढ़े हुए हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें अर्थ पर कम, शब्दों पर अधिक बल दिया जाता है,

परिणामत: वह हिन्दी लोगों के गले नहीं उतर रही है।'[1]

हिन्दी के माधयम से सरकारी कामकाज करने हतु अंग्रेजी में स्थित सारी कार्यालयीन साम्रगी की सुलभ हिन्दी में लाना समय की मांग बन गई। वैसे ही देश में कार्यालयीन अनुवाद की आवश्यकता बढ़ती गई। कार्यालयीन सामग्री के अनुवाद में होने वाली समस्याएँ यह है कि उसकी भाषा मूलत: अमिधामूलक तथा अनालंकृत होती है। कार्यालयीन अनुवाद में एक तरफ प्रत्येक शब्द के साथ बाध्य रहना पड़ता है तो दूसरी तरफ ऐसे अनुवाद को कृत्रिमता एवं अटपटेपन से भी बचना पड़ता है डॉ. राजमणि तिवारी का कथन सही है कि 'कार्यालयी अनुवाद करते समय अनुवादक को छूट लेने की स्वतंत्रता नहीं है। उसे प्रत्येक शब्द का अनुवाद करने की बाध्यता सी प्रतीत होती है। इसका परिणाम यह होता है कि अनुवाद की भाषा कृत्रिम और अटपटी बन जाती है।'[2]

चूंकि देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। सरकारी कामकाज हिन्दी में करने को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, मगर सरकारी विभागों का कामकाज हिन्दी में करने की नसीहत देने वाली केंद्र सरकार के सर्वोच्च मंत्रालय से हिन्दी गायब हो गई। इम्फाल और नार्थ ईस्ट के राज्यों से सूचनाओं के जबाव हिन्दी में आते है लेकिन दिल्ली स्थित मंत्रालयों को हिन्दी नहीं आता। प्रधानमंत्री (पीएमओ) में कामकाज जरूर हिन्दी में होता होगा लेकिन पत्राचार अंग्रेजी में हो रहा है। सूचना के अधिकार के तहत यहाँ से कोई जानकारी हिन्दी में मांगिये। आपको जबाव अंग्रेजी में मिलेगा। हाल ही में संगम नगरी के पार्षद के सवाल का जबाव अंग्रेजी में (पीएमओ ने) भेजा। केन्द्र सरकार के मंत्रालय और विभाग अपना जबाव अंग्रेजी में देते है।'देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई के दतर ने हिन्दी मे जबाव दिया।'[3]

किसी भी राष्ट्र में एक या एक से अधिक भाषायें होती है जो सरकारी या प्रशासनिक कार्य के लिए उपयोग की जाती है। जैसे भारत में हिन्दी और अंग्रेजी प्रशासनिक कार्य के लिए उपयोग की जाती है और कुछ राज्य सरकारें हिन्दी के स्थान पर अपने राज्य की भाषा का प्रयोग करती है ऐसी स्थिति में आम बोलचाल की भाषा और प्रशासनिक कार्यालयों की भाषा में बहुत अंतर होता है।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता का सर्वप्रमुख कारण प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए प्रशासन की भाषा जनता की भाषा होनी चाहिए ताकि आम नागरिक आसानी से सरकारी नीतियों, योजनाओं और नियमों को समझ सकें। हिन्दी में सरकारी कामकाज करने से यह लक्ष्य पूरा किया जा सकता हैं।

हिन्दी भाषा का प्रशासनिक रूप अंग्रेजी के ढांचे पर विकसित हुआ। इसलिए 'प्रशासनिक या कार्यालयी हिन्दी और आम हिन्दी भाषा में स्वरूप, सरंचना, वाक्य गठन, शब्द भंडार आदि के स्तर पर बहुत अंतर पाया जाता है। प्रशासनिक कार्य मूल रूप में अंग्रेजी में होता है, उसके बाद हिन्दी में उसका अनुवाद किया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अंग्रेजी रूप को ही प्रमाणिक माना जाता है।'[4]

कानूनी एवं संवैधानिक बाध्यता होने से हिन्दी को संविधान में राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है जिससे यह अनिवार्य हो जाता है कि सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग होना चाहिए।

पिछले कुछ वर्षो से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि 'प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकायें, संसद को दी जाने वाली रिपोर्ट सरकारी पत्र, आदेश आदि जहाँ तक हो अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी प्रकाशित की जाये। भारत सरकार के आदेश के अनुसार सरकारी संकल्पों और विधायी अधिनियमों में धीरे-धीरे अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग करने और जनता की सहायता करने के विचार से जहाँ तक संभव हो सके उन्हें अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी निकाला जाये।'[5]

हिन्दी की उन्नति में अनुवाद कार्य का अभूतपूर्व योगदान है। अनेक हिन्दीतर क्षेत्रों की हिन्दीतर श्रेष्ठ रचनायें अनुवाद के कारण हिन्दी में आ गई है, जिनके कारण हिन्दी निश्चय ही समृद्ध होती जा रही है।

हिन्दी के विकास में सरकार द्वारा उठाये गये कदम – शासकीय स्तर पर विविध योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हुआ तो, हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु रहा है। त्रिभाषा सूत्र का निर्माण एवं क्रियान्वयन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओंके प्रलोभन हिन्दी अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान एवं विकास में सहायक सिद्ध हुए है। कई सेवाभावी संस्थाएँ जैसे -भारतीय हिन्दी परिषद् दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (मद्रास), राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (वर्धा) महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा (पुणे) नागरी प्रचारिणी सभा (काशी), दक्षिण के राज्यों में कार्यरत अनेक संस्थाएँ और महाराष्ट्र हिन्दी परिषद जब से संविधान में हिन्दी को राजभाषा का पद प्राप्त हुआ है तब से प्रशासनिक स्तर पर अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम कार्यालयों में हो रहे है। हिन्दी लेखन प्रोत्साहन एवं प्रतियोगिता में कर्मचारीगण व्यापक संख्या में भाग ले रहे है। यद्यपि कार्यालयी हिन्दी में हिन्दी के मानकरूप का प्रयोग किये जाने का प्रयास हो रहा है। इस मानक हिन्दी की वर्णमाला, इसे लिखने का ढंग, वाक्य संरचना, व्याकरण आदि निश्चित किया गया है, ताकि सभी वर्गों के अधिकारी कर्मचारी उसी के अनुरूप कार्य कर सके। केन्द्रीय हिन्दी निर्देशालय तथा वैज्ञानिक शब्दावली आयोग इस मानक हिन्दी या राजभाषा के विकास, रूप-स्थिरीकरण एवं इसकी समृद्धि की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे है। विभिन्न कार्यालयों के लिए उपयोगी शब्दावली का भी निर्माण किया गया है। बहुभाषिक कोश भी तैयार किये गये है।

हिन्दी में सरकारी कार्यों में चलन से सम्पूर्ण देश में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है और प्रशासनिक कार्यों में स्वदेशी भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा।

हिन्दी का प्रयोग करने से सरकारी अधिकारी और आम जनता के बीच संवाद अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगा।

सरकारी कामकाज में हिन्दी प्रयोग की चुनौतियॉं – जहॉ सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया जाता है किन्तु किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखे तो हिन्दी प्रयोग में आने वाली चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं।

सर्वप्रथम अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव आधुनिक समय में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जिससे हिन्दी को प्रशासनिक कार्यों में वह स्थान नहीं मिल पा रहा है जो उसे मिलना चाहिए।

सरकारी दस्तावेजों वेबसाईटो और कम्प्यूटर प्रणालियों में हिन्दी का पूर्ण रुप भी से उपयोग करने के लिए पर्याप्त तकनीकी संसाधनो की भी कमी हैं।

भारत के अधिकांश कानून और सरकारी नियम अंग्रेजी में बनाए गए है, जिससे हिन्दी में इनका अनुवाद और प्रयोग करना जाटिल हो जाता हैं। सरकारी कार्यों में हिन्दी प्रयोग की एक और समस्या वह है, भारत का बहुभाषी होना। भारत में विभिन्न भाषाएँ और बोलियां बोली जाती है कई राज्यों में

हिन्दी को अपनाने में संकोच किया जाता है क्योंकि वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं का अधिक प्रभाव हैं।

सरकारी दफ्तरों में हिन्दी प्रयोग को बढ़ावा न मिलने का एक कारण यह भी हैं कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अंग्रेजी को ही प्राथमिकता देते है जिससे हिन्दी का प्रयोग सीमित हो जाता हैं।

सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के उपाय :-

1. **नीतिगत सुधार –** केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, जो हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करें और इसे प्रशासनिक कार्यों का अभिन्न अंग बनाएं।
2. **तकनीकी विकास –** सरकारी वेबसाईटों, सॉफ्टवेयर और दस्तावेजों में हिन्दी को प्रमुखता देने के लिए तकनीकी सुधार किए जाने चाहिए।
3. **हिन्दी में प्रशासनिक प्रशिक्षण–** सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि वे इसे सुगमता से प्रयोग कर सकें।
4. **हिंदी में कानूनों का अनुवाद –** सभी महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों, कानूनो और नीतियों का हिन्दी में अनुवाद किया जाना चाहिए, ताकि नागरिकों को समझने में सुविधा हों।
5. **प्रेरणादायक योजनाएँ–**हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने की योजनाएँ चलाई जानी चाहिए जैसे हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वालो को पुरुस्कार देना।

सारांश– इस प्रकार हम यही कह सकते हैं कि हिन्दी का भविष्य स्वर्णिम है क्योंकि हिन्दी एक जीवंत भाषा है, इसकी सर्वांगीण उन्नति होगी, वह अपनी देश भाषाओं की प्रवृत्तियों, शब्दावली आदि को आत्मसात कर उत्तारोत्तार देश व्यापक बनेगी इसमें तनिक भी संदेह नहीं। आज तूफान के बादल भले ही छाये हो, वातावरण में गड़गड़ाहट भले ही सुन पड़ती हो पर वह समय दूर नहीं है जब बादल छटेंगे, आकाश निर्मल होगा और स्वच्छ वातावरण की शरदकालीन निर्मल सूर्य रश्मियों में राष्ट्रभाषा हिन्दी का मुख उत्फुल्लित दिख पड़ेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. अर्जुन चव्हाण, मीडिया कालीन हिन्दी स्वरूप एवं संभावनाएँ, राजकमल प्रकाशन।
2. डॉ. अर्जुन चव्हाण, मीडिया कालीन हिन्दी स्वरूप एवं संभावनाएँ, राजकमल प्रकाशन।
3. अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका, कृतिका, प्रकाशन वर्ष –12–13
4. डॉ. हरिमोहन, प्रशासनिक हिन्दी, तक्षशिला प्रकाशन, पृ. 52
5. डॉ. कृष्ण कुमार गोस्वामी, प्रयोजनमूलक भाषा और कार्यालयी हिन्दी, वाणी प्रकाशन,पृ. 12
6. डॉ. संजीव कुमार जैन,अनुवाद विज्ञान, कैलाश पुस्तक सदन।
7. कैलाश नाथ पाण्डेय, प्रयोजन मूलक हिन्दी की नई भूमिका।

****